सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।**
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

**निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 24/2017**

1. ओमप्रकाश पुत्र फूसाराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. लाधुराम पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. सुरेन्द्र पुत्र हरचन्द जाति जाट निवासी दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. ग्राम पंचायत दौलतपुरा पंचायत समिति श्रीगंगानगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा

अप्रार्थी

**निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत दौलतपुरा द्वारा खसरा संख्या 102/154 के गोसा क,ख,ग, घ 6155.65 वर्गगज में से 43X31 दरगज कुल 1333 दरगज भूमि 40 रूपये में अलॉट की गई। आदेश अलॉटमेंट निरस्त किये जाने हेतु**

उपस्थित : 1. श्री रामसिंह ढाका, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री तेजा सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी 01 से 02
3. श्री जसराम टाक अप्रार्थी संख्या 03

**आदेश** **दिनांकः—05.03.2018**

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि '' निगरानी कृत आदेश विधि, पत्रावली एवं न्याय सिद्वान्त के विपरित पारित किया गया है इसलिए आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा रजिस्ट्रर चक 3 क्यू ग्राम पंचायत दौलतपुरा में खसरा सख्या 102/154 के गोसा क,ख,ग,घ कमशः 2130,1116,461,1498,951 कुल मिलाकर 6156 वर्गगज गवाड की जगह है। गवाड के नाम से नामान्तरण दर्ज है। इस गवाड की सुरक्षा व रक्षा हेतु ग्राम पंचायत दौलतपुरा बतौर ट्रस्टी है। ट्रस्टी होने के नाते ग्राम पंचायत दौलतपुरा का दायित्व है कि गवाड में अतिकमण , नाजायज कब्जा तथा कोई आवंटन ना हो। खसरा सख्या 102/154 का आजतक भारत सरकार , राजस्थान सरकार तथा अन्य प्रशासन द्वारा कभी भी गवाड से आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं किया गया है। दौलतपुरा के निवासीयान गवाड का उपयोग व उपभोग कर रहे है। कानून में उन्हें गवाड के उपयोग करने वाले समस्त दौलतपुरा निवासीयान हितबद्व व्यक्ति है। प्रार्थी का मकान भी इसी गवाड पर खुलता है इसलिए प्रार्थी भी हितबद्व व्यक्ति ,प्रभावित व्यक्ति, व्यर्थित व्यक्ति है। गैरसायल हेतराम का बडा भाई ग्रांम पंचायत दौलतपुरा का सरपंच रहा है। सरपंच की हैसियत से अपने भाई के हक में केवल मात्र 40 रूपये में 1333 वर्गगज भूमि हेतराम को आवंटन की गई। हेतराम को भाई हेतराम के हक में आवंटन करने का अधिकारी नहीं था क्योंकि कोई सरपंच, उप सरपंच अपने परिवार रिश्तेदार, भाई बन्धु के लिए

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवंटन प्रकिया में भाग नहीं ले सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए जज(Judge) नहीं बन सकता है के सिद्वान्त के आधार पर आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायत अधिनियम पुराने अथवा नया में ग्राम पंचायत केवल मात्र आबादी का ही आवंटन कर सकती है। लोक भूमि (सामान्य भूमि) की रक्षा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। उस भूमि को आवंटन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इसलिए निगरानीकृत आदेश विधि विपरित है। हेतराम फौत हो चुका है। फौत होने से पूर्व उपरोक्त अहाता **हरचन्दराम व उसके पुत्रों लाधुराम व सुरेन्द्र को विक्रय** कर दिया है। वर्तमान में दोनो का कब्जा है। हरचन्द भी फौत हो गया है। लाधूराम व सुरेन्द्र के हक में खरीद शून्य आवंटन के आधार पर है इसलिए बैयनामा भी यदि उनके हक में है तो शून्य है। आवंटन आदेश ज़ारी करने से पूर्व ग्रम पंचायत द्वारा पंचायत अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों की प्रकिया नहीं अपनाई है, कानूनन प्रकिया ना अपना कर हितबद्व व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन किया है तथा केवल मात्र मजाक स्वरूप आदेश पारित किया है। ग्राम पंचायत के रिकार्ड में आज दिनांक तक हेतराम पुत्र चैनाराम को खसरा सख्या 102/154 के आवंटन होने बाबत कोई रिकार्ड जमा नहीं है। खसरा रजिस्टर में इन्तकाल दर्ज है यदि इन्तकाल को ऐसे ही बने रहने दिया जाता है तो हेतराम के वारिस या अप्रार्थीगण उक्त जगह पर पक्की तामीर कर सकते है। जिससे दौलतपुरा के हर निवासीयन को भारी नुकसान है। प्रार्थी को दिनांक 01.05.2017 को खसरा संख्या 102/154 गवाड की 1333 दरगज भूमि का आवंटन होने के तथ्य का ज्ञान गवाड का समस्त रिकार्ड लेने के बाद हुआ है। इससे पूर्व प्रार्थी को इस आवंटन आदेश का कभी कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान होने पर समस्त रिकार्ड की छानबीन कर आज बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। वैसे भी निगरानी के लिए कोई मियाद नहीं है। मगर जानकारी के सुसंगत समय में निगरानी का पेश होना आवश्यक है। प्रार्थी को ज्ञान के अभाव में अब ज्ञान होने के बाद पूर्व स्पष्टीकरण देते हुए बिना किसी देरी के निगरानी पेश की जा रही है। लिहाजा निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत के आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि " खसरा रजिस्ट्रर चक 3 क्यू ग्राम पंचायत दौलतपुरा में खसरा सख्या 102/154 के गोसा क,ख,ग,घ क्रमशः 2130,1116,461,1498,951 कुल मिलाकर 6156 वर्गगज गवाड की जगह है। गवाड के नाम से नामान्तरण दर्ज है। इस गवाड की सुरक्षा व रक्षा हेतु ग्राम पंचायत दौलतपुरा बतौर ट्रस्टी है। ट्रस्टी होने के नाते ग्राम पंचायत दौलतपुरा का दायित्व है कि गवाड में अतिक्रमण , नाजायज कब्जा तथा कोई आवंटन ना हो। खसरा सख्या 102/154 का आजतक भारत सरकार , राजस्थान सरकार तथा अन्य प्रशासन द्वारा कभी भी गवाड से आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं किया गया है। दौलतपुरा के निवासीयान गवाड का उपयोग व उपभोग कर रहे है। कानून में उन्हें गवाड के उपयोग करने वाले समस्त दौलतपुरा निवासीयान हितबद्व व्यक्ति है। प्रार्थी का मकान भी इसी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गवाड पर खुलता है इसलिए प्रार्थी भी हितबद्व व्यक्ति ,प्रभावित व्यक्ति, व्यर्थित व्यक्ति है। गैरसायल हेतराम का बडा भाई ग्रांम पंचायत दौलतपुरा का सरपंच रहा है। सरपंच की हैसियत से अपने भाई के हक में केवल मात्र 40 रूपये में 1333 वर्गगज भूमि हेतराम को आवंटन की गई। हेतराम को भाई हेतराम के हक में आवंटन करने का अधिकारी नहीं था क्योंकि कोई सरपंच, उप सरपंच अपने परिवार रिश्तेदार, भाई बन्धु के लिए आवंटन प्रकिया में भाग नहीं ले सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए जज(Judge) नहीं बन सकता है के सिद्वान्त के आधार पर आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। पंचायत अधिनियम पुराने अथवा नया में ग्राम पंचायत केवल मात्र आबादी का ही आवंटन कर सकती है। लोक भूमि (सामान्य भूमि) की रक्षा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। उस भूमि को आवंटन करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। इसलिए निगरानीकृत आदेश विधि विपरित है। हेतराम फौत हो चुका है। फौत होने से पूर्व उपरोक्त अहाता हरचन्दराम व उसके पुत्रों लाधुराम व सुरेन्द्र को विक्रय कर दिया है। वर्तमान में दोनो का कब्जा है। हरचन्द भी फौत हो गया है। लाधूराम व सुरेन्द्र के हक में खरीद शून्य आवंटन के आधार पर है इसलिए बैयनामा भी यदि उनके हक में है तो शून्य है। आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व ग्रम पंचायत द्वारा पंचायत अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों की प्रकिया नहीं अपनाई है, कानूनन प्रकिया ना अपना कर हितबद्व व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन किया है तथा केवल मात्र मजाक स्वरूप आदेश पारित किया है। ग्राम पंचायत के रिकार्ड में आज दिनांक तक हेतराम पुत्र चैनाराम को खसरा सख्या 102/154 के आवंटन होने बाबत कोई रिकार्ड जमा नहीं है। खसरा रजिस्टर में इन्तकाल दर्ज है यदि इन्तकाल को ऐसे ही बने रहने दिया जाता है तो हेतराम के वारिस या अप्रार्थीगण उक्त जगह पर पक्की तामीर कर सकते है। जिससे दौलतपुरा के हर निवासीयन को भारी नुकसान है। प्रार्थी को दिनांक 01.05.2017 को खसरा संख्या 102/154 गवाड की 1333 दरगज भूमि का आवंटन होने के तथ्य का ज्ञान गवाड का समस्त रिकार्ड लेने के बाद हुआ है। इससे पूर्व प्रार्थी को इस आवंटन आदेश का कभी कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान होने पर समस्त रिकार्ड की छानबीन कर आज बिना किसी देरी के निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। वैसे भी निगरानी के लिए कोई मियाद नहीं है। लिहाजा निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत के आदेश को निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निम्न नजीरे पेश की है:–

1- The RAJASTHAN REVENUE CASES DIGEST पेज– 456
2- आर.आर.सी.–2004 पेज–664
3- आर.आर.सी. –2003 पेज–473
4- आर.आर.डी.– 1984 पेज– 800

**कमांक 4 पर अंकित दृष्टांत एफिडेबिट के सम्बन्ध में है और प्रथम तीन दृष्टांत तो केवल राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार को दर्शाते है। हस्तगत निगरानी पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने से राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में न होकर राज्य सरकार के द्वारा प्रत्यायोचित शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा विचाराणीय है। प्रस्तुत दृष्टांत इस निगरानी में उसके तथ्यों एवं संबधित विधि को आविष्ट नहीं करती है। लिहाजा वे प्रकरण में सहायक होकर मार्गदर्शन नहीं करती।**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत का आदेश वर्ष 1959 का है जबकि निगरानी वर्ष 2017 में पेश की गई जो मियाद से बाहर है अतः निगरानी मियाद से बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें। निगरानी ग्राम पंचायत दौलतपुरा के आदेश के विरूद्व पेश की है लेकिन इसमें किस आदेश की निगरानी की जा रही है, किस मिसल की कि जा रही है कोई नम्बर अंकित नही है बिना तारीख अंकित किए बिना मिसल नम्बर अंकित किये और न ही आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अधिनस्थ अदालत को पेश की है आदेश की मुन्तकिली को निगरानी में रेवन्यु कोर्ट मेन्युअल पार्ट 11 धारा 30 के अनुसार प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जानी आवश्यक है। उसके बिना निगरानी चल नहीं सकती। निगरानी लाधुराम (रेस्पोडेन्ट संख्या 01) के विरूद्व पेश की गई है जबकि लाधुराम खरीददार है। आवंटी हेतराम है, हेतराम को न पक्षकार बनाया गया है न ही उसके विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की है। पंचायत एक्ट में अदालतवाला को निगरानी सुनने का आधार **आलामेन्ट के खिलाफ** है खरीददार के विरूद्व नहीं है। इसलिए निगरानी मेन्टऐबल नहीं होने के कारण काबिल निरस्त है। जिसकी निगरानी वर्ष 2017 में की गई है जो मियाद के बाहर है। निगरानीकर्ता करीब 10 वर्षो से चक 67 एल.एन.पी. में निवास कर रहा है। अधिवक्ता गैरनिगरानी कर्ता ने नजीर संख्या–1 आर.आर.टी 2015(2) पेज–967 " **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97– विकय पत्र का निष्पादन–6 वर्ष तक आवंटन को चुनौती नहीं देने के लिये स्पष्टीकरण नहीं–19.01.1999 को भूमि विकय की –निगरानी क्षैत्राधिकारिता के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र अपास्त नहीं किया जा सकता–सिविल वाद उचित उपचार था–तथ्य के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त–निर्णीत, स्पेशल अपील खारिज की**" पेश कर अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा रजिस्टर्ड हो जाए तो उसको निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

दौराने बहस अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने निम्न नजीरे पेश की है:–

2. डी.एन.जे. –2015(4) पेज–1853

> राजस्थान पंचायती राज अधिनियमश 1994–धारा 97–24 वर्ष बाद आवंटित भूमि का पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की–अधिनियम के परिसीमा का प्रावधान नहीं– असामान्य विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती–युक्तियुक्त समय में पक्षकार को निगरानी पेश करनी चाहिये और सिविल कार्यवाही पेश करने हेतु अवधि दिशा निर्देश कारक होनी चाहिए।

3. डी.एन.जे. –2009(1) पेज–194

> राजस्थान पंचायती राज अधिनियम , 1994–धारा 97–पट्टा का निरस्तीकरण–ग्राम पंचायत में आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की–ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाये बिना रेस्पोण्डेण्ट ने निगरानी पेश की –ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार थी– भूमि की शिनाख्तगी के सम्बन्ध में सही तथ्य जिला कलेक्टर के ध्यान में नहीं लाये गये।

ग्राम पंचायत की ओर से अधिवक्ता जसराम टाक ने बहस की। उन्होने कहा कि ग्राम 3 क्यू दौलतपुरा के खसरा रजिस्टर के खसरा संख्या 102/154 गुवाड के विवरण की कैफियत में **किता नम्बर 102** गवाड में से गौसा ग व घ का हिस्सा 1333 दरगज हेतराम वल्द चैनाराम को बहुकम पंचायत **तारीख 04.09.1960** को कीमतन 40 रूपये अलॉट हुआ जो रिकॉर्ड से प्रमाणित है। इस सम्बन्ध में संबंधित अन्य दस्तावेज ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं पाया है जिसकी ताईद ग्राम पंचायत ने अपने पत्र से की है। आवंटन को 55 वर्ष से भी अधिक अवधि

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

व्यतीत हो जाने के कारण निगरानीकर्ता ने आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में अपने निजी हित का दावा नहीं किया है। उसने इस आवंटन का पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी लम्बी अवधि के पश्चात निगरानी पेश की है जो उसकी बदनीयति को दर्शाती है। उन्होने यह भी तर्क दिया कि मूल आवंटी को पक्षकार बनाये बिना यह निगरानी चल नहीं सकती। लिहाजा निगरानी खारिज की जावें।

हस्तगत निगरानी में प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन ग्रांम पंचायत द्वारा कीमतन किया जाकर इसका अंकन खसरा रजिस्टर अभिलेख में किया गया है। इससे आवंटन प्रमाणित है। इस आवंटित भूखण्ड का रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 06.07.1959/21.04.1960 को गैर निगरानीकर्ता 1 व 2 के पिता हरचंदराम के पक्ष में उसके भाई हेतराम पुत्र चैनाराम द्वारा किया जाना भी पत्रावली पर है। पत्रावली पर एक दिवानी प्रकरण संख्या 159/2010 (79/08) न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय श्रीगंगानगर का भी है। यह स्थाई निषेघाज्ञा का वाद निगरानीकर्ता द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 के भाई विजयकुमार साहू के खिलाफ सार्वजनिक गवाड व रास्ता आम पर अतिक्रमण करार देते हुए पेश किया। जिस गवाड पर निगरानीकार अतिक्रमण कथित करता है उसका उपयोग उसके अनुसार 40 वर्षो से अधिक समय से सार्वजनिक रूप में होता आया है। निगरानीधीन अहाता इससे भी पूर्व आवंटित हो चुका है लिहाजा उसका सार्वजनिक उपयोग निगरानीकार के उक्त वाद के कथन में मान्य नहीं किया जा सकता। निगरानीकार के कथन प्रस्तुत निगरानी तथा उक्त वाद में एक सामन ही प्रतीत होते है। निगरानीकार वादी का उक्त वाद बाद सुनवाई गुणावगुण पर दिनांक 26.09.2013 को खारिज किया गया। इस निर्णय के 4 वर्ष पश्चात निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की है, जबकि उसको गैर निगरानीकर्ता के परिवार को आवंटित अहाता का तथ्य तब से ही ध्यान में था। निगरानीकर्ता ने अहाता के क्रेता हरचंदराम के पक्ष में उक्त अहाते का रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र आज भी बाकायदा प्रभावी है। इस प्रकार निगरानीकार ने सदाशयता के साथ स्वच्छ हस्त0 से यह निगरानी पेश नहीं की है सुदीर्घ अवधि के अवसान के पश्चात बिना युक्तियुक्तकारण और बिना अपने किसी विशिष्ट हक का दावा किये निगरानीकार द्वारा केवल पारिवारिक (सहू एवं गोदारा परिवार के मध्य) अनबन के चलते विक्रय विलेख से अधिकार प्राप्त अहाता का आवंटन रद्द करवाने की मंशा से की गई यह कार्यवाही न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती। उपरोक्त विवेचन और गैरनिगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों कमांक 1 व 2 के आलोक में निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 05.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

# कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांक :— सीजी/का0 रिकार्ड/17/ 328 दिनांक : 8-3-18

प्रेषिति :—

रीडर ADM(A)

कलक्टर, श्रीगंगानगर।

B

विषय :— प्रतिलिपि देने हेतु पत्रावली/रिकार्ड भिजवाने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने हेतु निम्नांकित रिकॉर्ड/पत्रावली की आवश्यकता है। अतः चाहा जा रहा रिकॉर्ड/पत्रावली भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि प्रतिलिपि समय पर जारी की जा सके। इसे अति आवश्यक समझा जावे।

| क्र.सं. | नाम सोंगा | प्रकरण संख्या | अनवान | तारीख पेशी | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| | भिगरानी | २५/17 | ओमप्रकाश v/s लालूराम etc | | 5-3-18 |

शाखा प्रभारी
कार्यालय रिकॉर्ड शाखा
कार्यालय हाजा